IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.13820 of 2023

==========

Sandeep Kumar, aged about 52 years, S/o Late Ram Gopal Mahensaria, Proprietor M/S Sarswatii Store, Mulchand Path, Chitragupt Nagar, Kankarbagh, Patna at Present Resident of A-001, Raj Kishori Complex, Mulchand path, Bahadurpur Gumti Kankarbagh, Patna.

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar througjh the Secretary (Gramin Vikas), Rural Development Department, Government of Bihar, Patna.
2. The Chief Executive Officer, Jeevika, Vidyut Bhawan, Patna.
3. Director General , Bihar Institute of Public Administration and Rudal Development, Walmi Campus, P.S. Phulwarisariff, District-Patna.
4. Deputy Director, Bihar Institute of Public Administration and Rudal Development, Walmi Campus, P.S. Phulwarisariff, District-Patna.

... ... Respondent/s

==========

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Amit Kumar Mishra
For the Respondent/s : Mr. Vikash Kumar (Sc 11)
Mr. Abhinav Srivastava, Advocate
Mr. Raushan, Advocate

==========

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE P. B. BAJANTHRI
and
HONOURABLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR JHA

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE MR. JUSTICE P. B. BAJANTHRI)

2 25-09-2023 In the instant writ petition, petitioner has prayed for the following relief(s):-

> *"That this writ is filed for quashing the order dated 23/09/2021 issued vide letter no. BIPARD/CRD-36/2011-91 dated 23/09/2021 under the signature of Respondent No. 3, the Director General, Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (hereinafter referred to as BIPARD), where by the respondent had put the petitioner in black list."*

WEB COPY

2. The petitioner has been blacklisted vide order dated 23/09/2021 passed by Director General, Bihar Institute of Public Administration and Rural Development, which reads as under:-

Annexure-1 (13)

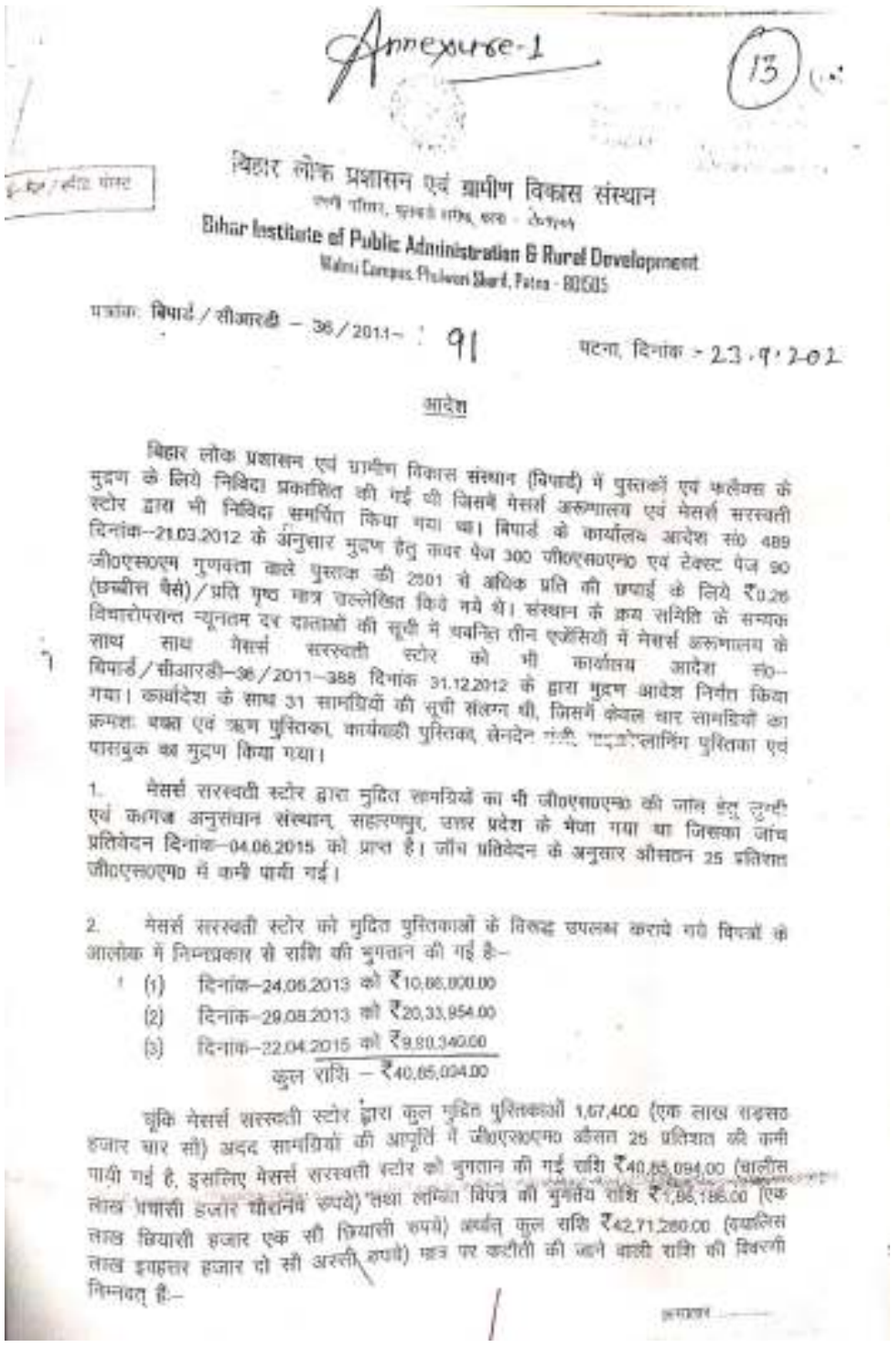

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना - 801505

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development

Walmi Campus, Phulwari Sharif, Patna - 801505

पत्रांक: बिपार्ड / सीआरडी – 36 / 2011 – 91 पटना, दिनांक – 23.9.2021

आदेश

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) में पुस्तकों एवं फलैक्स के मुद्रण के लिये निविदा प्रकाशित की गई थी जिसमें मेसर्स अरूणालय एवं मेसर्स सरस्वती स्टोर द्वारा भी निविदा समर्पित किया गया था। बिपार्ड के कार्यालय आदेश सं० 489 दिनांक–21.03.2012 के अनुसार मुद्रण हेतु कवर पेज 300 जी०एस०एम० एवं टेक्स्ट पेज 90 जी०एस०एम० गुणवत्ता वाले पुस्तक की 2501 से अधिक प्रति की छपाई के लिये ₹0.26 (छब्बीस पैसे)/प्रति पृष्ठ मात्र उल्लेखित किये गये थे। संस्थान के क्रय समिति के सम्यक विचारोपरान्त न्यूनतम दर दाताओं की सूची में चयनित तीन एजेंसियों में मेसर्स अरूणालय के साथ साथ मेसर्स सरस्वती स्टोर को भी कार्यालय आदेश सं०–बिपार्ड/सीआरडी–36/2011–388 दिनांक 31.12.2012 के द्वारा मुद्रण आदेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के साथ 31 सामग्रियों की सूची संलग्न थी, जिसमें केवल चार सामग्रियों का क्रमशः पक्का एवं ऋण पुस्तिका, कार्यवाही पुस्तिका, लेनदेन पंजी, एकाउंटिंग पुस्तिका एवं पासबुक का मुद्रण किया गया।

1. मेसर्स सरस्वती स्टोर द्वारा मुद्रित सामग्रियों का भी जी०एस०एम० की जाँच हेतु लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को भेजा गया था जिसका जाँच प्रतिवेदन दिनांक–04.06.2015 को प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार औसतन 25 प्रतिशत जी०एस०एम० में कमी पायी गई।

2. मेसर्स सरस्वती स्टोर को मुद्रित पुस्तिकाओं के विरुद्ध उपलब्ध कराये गये विपत्रों के आलोक में निम्नप्रकार से राशि की भुगतान की गई है–

(1) दिनांक–24.06.2013 को ₹10,66,800.00

(2) दिनांक–29.08.2013 को ₹20,33,954.00

(3) दिनांक–22.04.2015 को ₹9,80,340.00

कुल राशि – ₹40,85,094.00

चूंकि मेसर्स सरस्वती स्टोर द्वारा कुल मुद्रित पुस्तिकाओं 1,67,400 (एक लाख सड़सठ हजार चार सौ) अदद सामग्रियों की आपूर्ति में जी०एस०एम० औसत 25 प्रतिशत की कमी पायी गई है, इसलिए मेसर्स सरस्वती स्टोर को भुगतान की गई राशि ₹40,85,094.00 (चालीस लाख पचासी हजार चौरानवे रुपये) तथा लम्बित विपत्र की भुगतेय राशि ₹1,86,186.00 (एक लाख छियासी हजार एक सौ छियासी रुपये) अर्थात् कुल राशि ₹42,71,280.00 (बयालिस लाख इकहत्तर हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र पर कटौती की जाने वाली राशि की विवरणी निम्नवत् है–

क्रमशः ——

WEB COPY

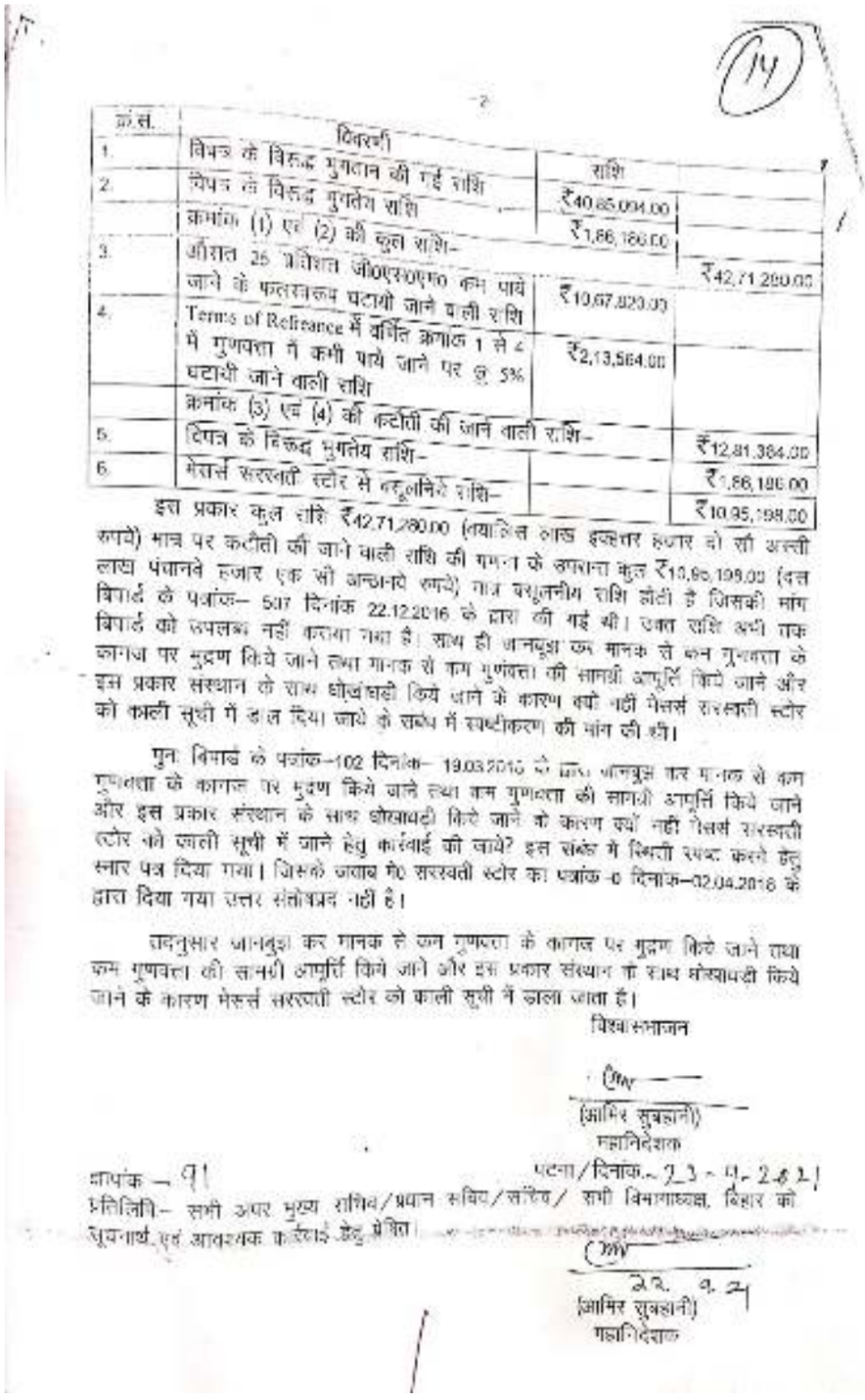

(14)

-2-

क्र.सं.	विवरणी	राशि	
1.	विपत्र के विरुद्ध भुगतान की गई राशि	₹40,85,094.00	
2.	विपत्र के विरुद्ध भुगतेय राशि	₹1,86,186.00	
	क्रमांक (1) एवं (2) की कुल राशि–		₹42,71,280.00
3.	औसत 25 प्रतिशत जी0एस0एम0 कम पाये जाने के फलस्वरूप घटायी जाने वाली राशि	₹10,67,820.00	
4.	Terms of Refreance में वर्णित क्रमांक 1 से 4 में गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर @ 5% घटायी जाने वाली राशि	₹2,13,564.00	
	क्रमांक (3) एवं (4) की कटौती की जाने वाली राशि–		₹12,81,384.00
5.	विपत्र के विरुद्ध भुगतेय राशि–		₹1,86,186.00
6.	मेसर्स सरस्वती स्टोर से वसूलनीय राशि–		₹10,95,198.00

इस प्रकार कुल राशि ₹42,71,280.00 (बयालिस लाख इकहत्तर हजार दो सौ अस्सी रुपये) मात्र पर कटौती की जाने वाली राशि की गणना के उपरान्त कुल ₹10,95,198.00 (दस लाख पंचानबे हजार एक सौ अन्ठानबे रुपये) मात्र वसूलनीय राशि होती है जिसकी मांग बिपार्ड के पत्रांक– 507 दिनांक 22.12.2016 के द्वारा की गई थी। उक्त राशि अभी तक बिपार्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही जानबूझ कर मानक से कम गुणवत्ता के कागज पर मुद्रण किये जाने तथा मानक से कम गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ति किये जाने और इस प्रकार संस्थान के साथ धोखाधड़ी किये जाने के कारण क्यों नहीं मेसर्स सरस्वती स्टोर को काली सूची में डाल दिया जाये के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी।

पुनः बिपार्ड के पत्रांक–102 दिनांक– 19.03.2018 के द्वारा जानबूझ कर मानक से कम गुणवत्ता के कागज पर मुद्रण किये जाने तथा कम गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ति किये जाने और इस प्रकार संस्थान के साथ धोखाधड़ी किये जाने के कारण क्यों नहीं मेसर्स सरस्वती स्टोर को काली सूची में डाले हेतु कार्रवाई की जाये? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु स्मार पत्र दिया गया। जिसके जवाब मे0 सरस्वती स्टोर का पत्रांक -0 दिनांक–02.04.2018 के द्वारा दिया गया उत्तर संतोषप्रद नहीं है।

तदनुसार जानबूझ कर मानक से कम गुणवत्ता के कागज पर मुद्रण किये जाने तथा कम गुणवत्ता की सामग्री आपूर्ति किये जाने और इस प्रकार संस्थान के साथ धोखाधड़ी किये जाने के कारण मेसर्स सरस्वती स्टोर को काली सूची में डाला जाता है।

विश्वासभाजन

Sd/-

(आमिर सुबहानी)
महानिदेशक

ज्ञापांक – 91 पटना/दिनांक– 23-4-2021

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/-
22.4.21

(आमिर सुबहानी)
महानिदेशक

3. Reading of the impugned order, it is crystal clear that the principles laid down by the Apex Court in the case(s) of ***State Bank of India and Ors. Vs. Rajesh Agarwal and Ors.*** reported in

WEB COPY

(2023) 6 SCC 1, ***UMC Technologies Pvt. Ltd. vs. Food Corporation of India and Anr.,*** reported in **(2021) 2 SCC 551** and later decision in the case of ***Isolators and Isolators Through Its Proprietor Mrs. Sandhya Mishra vs. Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd. and Anr.,*** reported in **2023 Livelaw (SC) 330 (Para-34)** have not been followed to the extent that there is no specific notice for period of blacklisting the petitioner. On this short ground, petitioner has made out a case.

4. Accordingly, the blacklisting order dated 23.09.2021 issued vide letter no. BIPARD/CRD-36/2011-91 (Annexure-1) stands set aside, reserving liberty to the concerned authority to proceed in accordance with law after taking note of the principles laid down by the Apex Court in the decisions cited (supra) by giving ample opportunity of hearing to the petitioner.

5. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order.

6. Accordingly, the writ petition stands allowed.

(P. B. Bajanthri, J)

(Arun Kumar Jha, J)

Himanshu/-
Ashish/-

U			

WEB COPY